FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

रणवीर सिंह .... बनाम भूमिधारी [illegible] बेगूं

करम मुकदमा .... नं. 07/18 .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21/01/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उप०। अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्र.सं. 7/2018 अपील इन्तकाल　　　　　　　　　　दिनांक 21.01.2019

1.– राजवीरसिंह पिता सांवतसिंहजी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी मोतीपुरा,

2.– नारायणसिंह पिता सांवतसिंह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी मोतीपुरा

3.– अंजनाकंवर पुत्री सांवतसिंह जी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी मोतीपुरा,

4.– प्रेमकँवर पत्नि सांवतसिंहजी जाति राजपूत उम्र व्यस्क निवासी मोतीपुरा

तह0 बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)　　　　　　　　..........अपीलांटस

--बनाम--

श्री मान भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार तह. बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....रेस्पोंडेंटस

निर्णय

अपील के संक्षिप्त इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से ग्राम पंचायत मोतीपुरा द्वारा मौजा मोतीपुरा प.ह. मोतीपुरा में सांवतसिंह पिता फतहसिंह जी राजपूत के नाम की खातेदारी की आराजी नं. 93 रकबा 0.8200 हैक. स्थित हो नाम संवत् 2064 मे खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। सांवतसिंह जी की मृत्यु हो जाने से खाता विरासत से इन्तकाल नं. 649 उनके जायन्दा दो पुत्र राजवीरसिंह, नारायणसिंह, व पुत्री अंजनाकँवर और पत्नि प्रेमकँवर, नाम खोला गया।

अपीलान्ट राजूसिंह का राज्य सरकार के सभी दस्तावेज में एंव वास्तवीकता मे पूरा नाम "राजवीरसिंह" है, तथा एजनकँवर का नाम " अजनाकँवर "तथा पेम कँवर का नाम " प्रेम कँवर " है लेकिन लिपीकीय भूल से सहवन से विरासत का इन्तकाल खोलते समय पटवार हल्का पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक पारसोली व सरपंच ग्राम पंचायत मोतीपुरा द्वारा विरासत का नामान्तरण खोलते समय अपीलान्ट के नाम खातेदारी हक में दर्ज नहीं कर गलत नाम अंकित कर विधि विपरीत निर्णय पारित कर नामान्तरण खोलने में विधि कि भारी भूल की है। अपीलान्ट के नाम को सही अंकित नहीं किया गया तो प्रार्थी अपीलान्ट के नाम अन्य दस्तावेज से मिलान नहीं होने पर भविष्य में उनके खातेदारी हितो पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा, जिससे अपीलान्ट को ऐसी अपूर्णिय क्षती होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में किया जाना सम्भव नहीं होगा। अपीलान्ट राजूसिंह के नाम के स्थान पर "राजवीरसिंह तथा एजनकँवर के स्थान पर नाम " अंजनाकँवर " तथा पेम कँवर के स्थान पर नाम " प्रेम कँवर " अंकित कर उसको शुद्ध किया जाता है

.....2

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

तो किसी के भी हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही किसी को नूकसान होने कि संभावना है। उक्त तथ्यों कि जानकारी जब अपीलान्ट ने प0ह0 पटवारी से अपने नाम की खाते की जमाबन्दी कि नकल निकलवाई तब दिनांक 12.09.2018 को जानकारी में आने से अपील इन्तकाल अन्दर अवधि प्रस्तुत है इत्यादी।

इस पर प्रकरण कर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब अपील में वर्णित तथ्यो को स्वीकार करते हुए अपीरलान्ट के नाम को शुद्ध करते हुए उर्फ नाम अंकित करने आपत्ति नहीं है पेश किया ।

उभयपक्षें की बहस सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधारकार्ड, परिचय पत्र , ग्राम पंचायत मोतीपुरा के द्वारा सरपंच के प्रमाण पत्रों ,जमाबन्दी और ईनतकाल का घ्यान पूर्वक अवलोकन कर मनन किया गया । सभी दस्तावेजो से अपीलान्ट के नाम अशुद्धी पाई गई । अतः अपीलान्ट के शुद्ध कर उर्फ नाम अंकित किया जाना उचित प्रतित होता है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट के नाम राजूसिह एजनकँवर ,पेम कँवर के नाम के स्थान पर उर्फ नाम "राजूसिंह उर्फ राजवीरसिंह" "एजनकँवर उर्फ अंजनाकँवर" तथा " पेम कँवर उर्फ प्रेमकँवर" अंकित किये जाने का आदेश दिए जाते है ।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

निर्णय आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित कर सुनाया गया

सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner